जगमाल / बहादुर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
2.9.21	पत्रावली पेश हुई। सचिव की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपील अभिभाषक को सुना तथा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के आदेश दिनांक 24.03.21 तथा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो. विवादित आराजी ख. नम्बर 747 वाके ग्राम धीलोठ में आज की तारीख में सह-खातेदार नहीं है। एवं अपीलांट उक्त विवादित आराजी में सह खातेदार है, एवं एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु Remand किया जाकर तहत अदालत उपखण्ड, अधिकारी नीमराणा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थना-पत्र 212 RT ACT का 30 दिवस में निर्णय किया जाना सुनिश्चित करें। तब तक तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा के आदेश दिनांक 24.03.2021 प्रकरण संख्या 18/2021 उनवान बहादुर सिंह बनाम जगमाल सिंह का प्रचलन स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलांट को आदेशित किया जाता है कि वे नियत दिनांक को वास्ते सुनवाई तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। (हस्ताक्षर) 2/9/2021 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर,